छावनी परिषद, अम्बाला छावनी

सार्वजनिक सूचना

स्टेशन सेल, मुख्यालय पीएच और एचपी (आई), सब एरिया ने पत्र दिनांक 19.12.2018 द्वारा, बढ़ते हुए सुरक्षा कारणों के विषय पर, रक्षा राज्य मंत्री के साथ शहर में उनकी यात्रा के दौरान की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय 2 कोर, ऑफिस कॉम्प्लेक्स के सामने मॉल रोड, अम्बाला छावनी को बंद करने की सिफारिश की है ।

स्टेशन सेल, मुख्यालय पीएच और एचपी (आई), सब एरिया के पत्र दिनांक 18.04.2019 के माध्यम से प्राप्त, जीओसी-इन-चीफ, पश्चिमी कमान, चंडीमंदिर के पत्र दिनांक 08.04.2019 के तहत निर्देशों पर, छावनी परिषद अम्बाला ने अपने संकल्प सं॰ 42 दिनांक 07.06.2019 के द्वारा, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 258 के अन्तर्गत, मुख्यालय 2 कोर, ऑफिस कॉम्प्लेक्स के सामने मॉल रोड, अम्बाला छावनी को बंद करने के लिए स्थानीय जनता से दावे, आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने का संकल्प लिया ।

यह कार्यालय, इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर ऊपर प्रस्तावित अनुसार, व्यवस्था के लिए आम जनता से दावे, आपत्तियां तथा सुझाव, यदि कोई हो, आमंत्रित करता है । दावे, आपत्तियां तथा सुझाव ई-मेल के माध्यम से cbambala@dgest.org पर या डाक द्वारा या दस्ती मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, 229 रेस कोर्स रोड, अम्बाला छावनी के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं ।

हस्ता॰

मुख्य अधिशासी अधिकारी,

छावनी परिषद, अम्बाला